व् अदालत् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

आर0 ई0 आर0 केश नं0–24 / 2012–13

देवरी दागरी

बनाम्

सिहों राउत

8/11/2019

–: आदेश :–

विधि–व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता के कारण आदेश नहीं लिखा गया है। आदेश हेतु उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक देवर दागरी, पे0–स्व0 गौरी दागरी, सा0–बड़गॉव, अंचल–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् मौजा–द्रोपद नं0–66, जमाबंदी सं0–55, दाग नं0–706, रकवा–00–16–06 धुर जमीन से विपक्षी सिद्धो राउत, पे0–स्व0 बीजू राउत, सा0–द्रोपद, अंचल–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने के लिए प्रारंभ किया गया है।

आवेदक का कथन है कि मौजा–द्रोपद नं0–66, जमाबंदी सं0–55, दाग नं0–706, रकवा–00–16–06 धुर जमीन गत सर्वे सेट्लमेंट पर्चा में दारोगी दागरी वल्द मोहर दागरी के नाम से दर्ज है। दारोगी दागरी अपने पीछे दो पुत्री–1. मुकनी देवी जो लघोर पुत्री थी एवं 2. भगवतिया देवी को छोड़कर फौत कर गये। दारोगी दागरी अपने जीवन काल में ही अपने दोनों पुत्री की शादी करा दिया था। शादी के बाद पहली पुत्री अपने माता पिता के साथ रहने लगी तथा वृद्धावस्था तक अपने माता पिता का सेवा सुश्रुषा किया करती थी। दूसरी पुत्री की शादी बंगाल में कराने के कारण, शादी के बाद वह अपने ससुराल में रहने लगी। उनका आगे कथन है कि दारोगी दागरी अपने जीवनकाल में ही अपने लघौर पुत्री मुकनी देवी के सेवा सुश्रुषा से काफी खुश होकर अपने चल एवं अचल सम्पत्ति का हकदार बना दिया। मुकनी देवी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र भोदो दागरी एवं देवर दागरी हुए। दोनों भाई जमाबंदी रैयत दारोगी दागरी की जमीन पर दखलकार चला आ रहा है। विपक्षी को उक्त जमाबंदी की जमीन से कोई लेना–देना नहीं है। विपक्षी जमाबंदी रैयत का कोई भी नहीं लगता है। वह बाहरी व्यक्ति है। विपक्षी ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 20 का उल्लंघन कर जमीन अवैध ढंग से दखल किया हैं। आवेदक ने वादगत जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी का कथन है कि वादगत जमीन मौजा–द्रोपद नं0–66, जमाबंदी सं0–55, दाग नं0–706, रकवा–00–16–06 धुर जमीन गत सर्वे सेट्लमेंट पर्चा में दारोगी दागरी वल्द मोहर दागरी के नाम से दर्ज है। दारोगी दागरी को एक मात्र पुत्री भगवती देवी थी, जिसकी शादी बंगाल में हुई थी और शादी के बाद वह अपने पति के साथ रहने लगी एवं वहीं पर बस गई। अपने पिता के घर कभी नहीं आयी। दारोगी दागरी का वृद्धावस्था में कोई देखभाल करने वाला नहीं होने के कारण विपक्षी के पिता बीजू राउत उसका देखभाल करने लगे। उससे खुश होकर दारोगी दागरी ने अपने मनमर्जी से वादगत जमीन विपक्षी के पिता को

वर्ष 1936 ई0 में कुर्फा बंदोवस्त कर दिया। विपक्षी के पिता ने उक्त वादगत जमीन पर वासोवास हेतु मकान का निर्माण किया तथा शेष जमीन पर आम का बगीचा लगाया और आजीवन उस पर दखलकार रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र विपक्षी उसपर दखलकार हुए। उनका आगे कथन है कि आवेदक जमाबंदी रैयत का कोई वारिशान एवं उत्तराधिकारी नहीं है। वह बाहरी व्यक्ति है। उन्होनें अपने आवेदन में ही स्वीकार किया है कि आवेदक के माता लघौर पुत्री थी। विपक्षी ने आवेदक के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक–212/रा0, दिनांक–28/03/2018 से जॉच–प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–द्रोपद, थाना नं0–66, जमाबंदी नं0–55, जमाबंदी रैयत दरोगी दागरी वल्द मोहर दागरी कौम–डोम, साकिन–देह के नाम से पर्चा में दर्ज है। कुल दो दाग नं0–706 रकवा–00–16–06 धुर किस्म–बाड़ी एवं दाग नं0–992, रकवा–00–00–13 धुर मकानमय सहन से मामला संबंधित है। स्थल जॉच करने पर पाया गया कि वर्त्तमान में स्थल पर मकान नहीं है। वर्त्तमान में आम का बगीचा लगा हुआ है। ग्रामीणों को पूछताछ करने पर बताया गया कि विपक्षी जगदीश राउत, पिता–स्व0 बिजू राउत के द्वारा आम का बगीचा लगाया गया है। यह भी बताया कि दरोगी दागरी की मृत्यु के बाद से यह लगातार जोत आबाद कर रहा है एवं दखल कब्जा है। एक झोपड़ी भी बना हुआ पाया। जमाबंदी रैयत दरोगी दागरी का वंशवृक्ष संलगन है। वंशावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दारोगी दागरी की दुसरी पत्नी के पहले पति से मुकनी मोस्मात का जन्म हुआ। जिसकी शादी गोरी दागरी से हुई एवं मुकनी मोस्मात एवं गौरी दागरी से 04 (चार) संतान का जन्म हुआ, जिसका दुसरा संतान आवेदक देवर दागरी है। वहीं जमाबंदी रैयत दरोगी दागरी की पहली पत्नी की मृत्यु नावल्द हो गई एवं दरोगी दागरी की दुसरी पत्नी से भगवतिया का जन्म हुआ, जिसकी शादी फौदार दागरी से हुई, जिनसे एक लड़का का जन्म हुआ, जो स्थानीय निवास नहीं करते है। दुसरा पक्ष जगदीश राउत का कहना है कि मौजा–द्रोपद थाना नं0–66, जमाबंदी नं0–55, जमाबंदी रैयत दरोगी दागरी वल्द मोहर दागरी कौम–डोम कुल दाग दाग सं0–706, रकवा–00–16–06 धुर एवं दाग नं0–992, रकवा–00–00–13 धुर कुर्फानामा एवं शपथ–पत्र के आलोक में दखल कब्जा किया गया है। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट ने आगे प्रतिवेदित किया है कि देवर दागरी एवं जगदीश राउत के बीच टाईटल से संबंधित विवाद है। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट ने सक्षम न्यायालय में जाने की अनुशंसा की है।

अतः अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के अनुशंसा के आधार पर आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आवेदक चाहे तो स्वत्व का निपटारा हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।